

: : कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर : :

: : कार्यालय-आदेश : :

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: F-19(187)EDU-2/KGBV/Dep./2025-32461 part 1 जयपुर दिनांक 19.11.2025 की पालना में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चयनित निम्नांकित कार्मिकों/शिक्षकों की राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अधीनस्थ विद्यालय/छात्रावास में राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिये NSCB (Model) Teachers के पद पर निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति की जाती है-

SN	App Id	Candidate Name	post	Subject	Present posted Place	District	Name of (NSCB) (MODEL)	Posting district	Subject	Name of Nodal/Feeder school posting school
1	1351	ANITA VERMA	Teacher Level-1	-	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AKOLI JALOR (221119)	JALOR	SVGMS, sahabad	BARAN	L-1	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BEECHI (217673)
2	8487	SUNITA MEENA	Teacher Level-1	-	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOLPALIYA NADA (497624)	BARMER	SVGMS, salumber	salumber	L-1	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DAGAR (223551)
3	2846	RINKU KUMARI	Teacher Level-1	-	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAMSIN MOONGRA (220661)	BALOTAR A	SVGMS, balesar	JODHPUR	L-1	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALESAR (220252)
4	7148	ANTIMA KUMARI ACHARYA	Teacher Level-1	-	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SEJOUO KI BASTI BISHALA AGOR (407400)	BARMER	SVGMS, kotra	UDIAPUR	L-1	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LAMBA HALDU (471046)

नोट :-

- समस्त संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि चयनित शिक्षिकाओं द्वारा केजीबीवी साक्षात्कार विज्ञप्ति के साथ जारी शपथ पत्र 100/- रुपये के स्टॉम्प पर नोटरी करवाकर प्रस्तुत करने पर ही कार्यमुक्त किया जावे एवं कार्यग्रहण अधिकारी द्वारा उक्त शपथ पत्र को जमा करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
- जिन कार्मिकों को परियोजना में प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त हुए एक वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है एवं जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- ऐसी शिक्षिकाएं जिनकी नियुक्ति राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत हुई है तथा उनका चयन शहरी विद्यालय हेतु हुआ है तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- उक्त चयनित शिक्षिकाओं को उनके सम्मुख अंकित नोडल/फीडर विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करें।
- उक्त प्रतिनियुक्त/पदस्थापित शिक्षिकाओं को यात्रा एवं योगकाल भत्ता देय होगा।
- उक्त चयनित शिक्षिकाओं को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित वार्डन विद्यालय समय के अतिरिक्त छात्रावास में अपनी सेवाएं देंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.11.30 15:52:48 IST
Reason: Approved



8. उक्त प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की नीति क्रमांक प.19(12)शिक्षा-2/2020, जयपुर दिनांक 18.06.2020 एवं 30.08.2022 लागू होगी।
9. उक्त सूची में अंकित शिक्षिकाओं की यदि बीएलओ/सहायक बीएलओ संबंधित कार्य हेतु ड्यूटी लगी हुई है, तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक(वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/रा.स्कू.शि.प./प्रतिनियुक्ति/2021/04872/पार्ट फाईल(1)

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, बांरा, सलूमबर, जोधपुर, उदयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.11.30 12:52:48 IST
Reason: Approved